#### TO BE PUBLISHED IN PART-I SECTION-I OF THE GAZETTE OF INDIA

#### GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF TEXTILES

#### **NOTIFICATION**

Udyog Bhavan, New Delhi 1<sup>st</sup> December, 2016

Sub: Extension of operation of residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1<sup>st</sup> January, 2017.

**No.1/61/2004-Exports-I** (1) – The Government, vide Notification No.1/61/2004-Exports-I dated 9<sup>th</sup> November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1<sup>st</sup> January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31<sup>st</sup> December, 2016.

- 2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1<sup>st</sup> January, 2017.
- 3. All other terms and conditions of the Notification dated 9<sup>th</sup> November, 2004 mentioned in Para 1 shall remain unchanged.

(G.K. Rajnish) Under Secretary Government of India Ph. 2306 3837 Fax No.2306 1973 Email: teptj2@nic.in

To

The Manager, Government of India Press, Faridabad, Haryana.

# (भारत के राजपत्र के भाग-। खंड-। में प्रकाशनार्थ)

# भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय

# <u>अधिसूचना</u>

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 1 दिसम्बर, 2016

विषय : परिधान और निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी 2017 से आगे बढाया जाना।

सं.1/61/2004-निर्यात-I(1) - सरकार द्वारा परिधान और निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अविशष्ट प्रावधानों के प्रचालन को दिनांक 9 नवंबर, 2004 की अधिसूचना सं.1/61/2004-निर्यात-I के तहत प्रारंभ में 1 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय किया गया था तथा उन्हें समय-समय पर बढ़ाया गया था। इन प्रावधानों को तब से 31 दिसम्बर 2016 तक बढ़ाया गया है।

- 2. सरकार ने एतदद्वारा परिधान और निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी, 2017 से एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।
- 3. पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 9 नवम्बर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी।

(जी.के.रजनीश)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:23063837

फैक्स सं.:23061973

ई-मेल:teptj2@nic.in

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद, हरियाणा